उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
संख्या-2/1215/92-2014-35अधि0/2013,
लखनऊ: दिनांक: 04 मार्च, 2014

कार्यालय ज्ञाप

समता समिति उत्तर प्रदेश (1989) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार शासनादेश संख्या-7177/38-9-92-93एम/89, दिनांक 29 दिसम्बर, 1992 में निहित व्यवस्था के अनुसार ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के निम्नलिखित सहायक अभियन्ताओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से पुनरीक्षित वेतन संरचना के अन्तर्गत रू0-3700-5000 व समकक्ष वेतनमान अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	सहायक अभियन्ता का नाम	वैयक्तिक वेतनमान देयता की तिथि
1	2	3
1	श्री अशोक कुमार माथुर	13-5-1999
2	श्री राज कुमार वर्मा	11-11-1999
3	श्री त्रियुगी नारायण सिंह	27-12-2000
4	श्री आनन्द कृष्ण शुक्ला	15-03-2001
5	श्री सै0 अखलाख हुसैन रिजवी	15-03-2001
6	श्री अजय आर्या (सेवानिवृत्त दि0- 31-7-2013)	15-03-2001
7	श्री अशोक कुमार गुप्ता	09-08-2002
8	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह	17-08-2002
9	श्री त्रिलोकी नाथ राय	01-05-2003
10	श्री माया राम वर्मा	01-05-2003

शिशिर कुमार यादव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- /1215(1)/92-2014-तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5- सम्बन्धित सहायक अभियन्तागण।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 ।
7- गार्ड फाइल/व्यक्तिगत पत्रावली।

आज्ञा से,

(अखिलेश अग्निहोत्री)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in